

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्रमांक/शि.कर्मी/संवि./ए/48/2011/140

भोपाल, दिनांक 28/6/11

// संशोधित आदेश //

संचालनालय के आदेश क्रमांक/शि.क./ए/संवि./48/2011/328-329 दिनांक 10.06.2011 के सरल क्रमांक 155 पर अंकित श्रीमती सविता यादव, सहायक अध्यापक, शास. प्रा. शा. कटसारा जिला विदिशा से शास. प्रा.शा. गेहूखेड़ा जिला भोपाल के लिए संविलियन की अनुमति प्रदान की गई थी। अतः आवेदिका से प्राप्त आवेदन पत्र, द्वारा अवगत कराया गया है उक्त शाला में पद रिक्त नहीं होने के कारण आवेदिका का पदांकन नहीं किया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी के पत्र क्रमांक 3756 दिनांक 17.06.2011 एवं नगरपालिका परिषद कोलार जिला भोपाल के पत्र क्रमांक 820 दिनांक 23.06.2011 द्वारा शा.प्रा.शा. बांसखेड़ी में पद रिक्त होने की पुष्टि की गई है।

अतः आवेदिका द्वारा दी गई सहमति के आधार पर उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए शास. प्रा.शा. गेहूखेड़ा जिला भोपाल के स्थान पर शास.प्रा.शा. बांसखेड़ी, जिला भोपाल पढ़ा जावे। आदेश की शेष शर्तें यथावत रहेगी।



आयुक्त द्वारा अनुमोदित।


उप संचालक 28/6/11

लोक शिक्षण, म.प्र.
भोपाल, दिनांक 28/6/11

पृष्ठा. क्रमांक/शि.कर्मी/संवि./ए/48/2011/141
प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर जिला विदिशा/भोपाल, म.प्र.।
2. जिला शिक्षा अधिकारी, विदिशा/भोपाल, म.प्र.।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत विदिशा, म.प्र.।
4. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद कोलार, जिला भोपाल, म.प्र.।
5. संबंधित श्रीमती सविता यादव, सहायक अध्यापक, शास. प्रा.शा. कटसारा जिला विदिशा, म.प्र.। की ओर सूचनार्थ।


उप संचालक 28/6/11
लोक शिक्षण, म.प्र.


लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्रमांक/शि.कर्मी/संवि./बी/32/2011/142


भोपाल, दिनांक 28/6/11

// संशोधित आदेश //

संचालनालय के आदेश क्रमांक/शि.क./बी/संवि./32/2011/291-292 दिनांक 03.06.2011 के सरल क्रमांक 07-08 पर अंकित श्री राजेश कुमार नामदेव, सहायक अध्यापक शास. प्रा.शा. दुधावनी जिला सागर एवं श्री ओमप्रकाश पुलैया, सहायक अध्यापक, शास. प्रा.शा. जिनागढ़ जिला टीकमगढ़ को पारस्परिक आधार पर संविलियन की अनुमति प्रदान की गई थी।

अतः आवेदक से प्राप्त आवेदन पत्र, द्वारा अवगत कराया गया है कि जनपद पंचायत बल्देवगढ़, जिला टीकमगढ़ के स्थान पर जनपद पंचायत बल्देवगढ़, जिला छतरपुर अंकित हो गया है। उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए जनपद पंचायत बल्देवगढ़ जिला छतरपुर के स्थान पर जनपद पंचायत बल्देवगढ़ जिला टीकमगढ़ पढ़ा जावें। आदेश की शेष शर्तें यथावत रहेगी।


आयुक्त द्वारा अनुमोदित।


उप संचालक

लोक शिक्षण, म.प्र.
भोपाल, दिनांक 28/6/11

पृष्ठा. क्रमांक/शि.कर्मी/संवि./बी/32/2011/143
प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर जिला टीकमगढ़/सागर, म.प्र.।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत टीकमगढ़/सागर, म.प्र.।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, टीकमगढ़/सागर, म.प्र.।
4. संबंधित श्री राजेश कुमार नामदेव, सहायक अध्यापक शास. प्रा.शा. दुधावनी जिला सागर एवं श्री ओमप्रकाश पुलैया, सहायक अध्यापक, शास. प्रा.शा. जिनागढ़ जिला टीकमगढ़ की ओर सूचनार्थ।


उप संचालक
लोक शिक्षण, म.प्र.

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्रमांक/शि.कर्मी/संवि./ए/48/2011/144


भोपाल, दिनांक 28/6/11

// संशोधित आदेश //

संचालनालय के आदेश क्रमांक/शि.क./ए/संवि./48/2011/328-329 दिनांक 10.06.2011 के सरल क्रमांक 113 पर अंकित श्रीमती इन्दु दुबे, वरिष्ठ अध्यापक (हिन्दी) शास. उ.मा. वि. कासेल जिला बड़वानी से शास. शास.क.उ.मा.वि. होंशगाबाद जिला होंशगाबाद के लिए संविलियन की अनुमति प्रदान की गई थी।

अतः आवेदिका से प्राप्त आवेदन पत्र, द्वारा अवगत कराया गया है कि श्रीमती इन्दु दुबे वरिष्ठ अध्यापक (गणित) के स्थान पर टंकण त्रुटिवश श्रीमती इन्दु दुबे वरिष्ठ अध्यापक (हिन्दी) अंकित हो गया है। उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए श्रीमती इन्दु दुबे वरिष्ठ अध्यापक (हिन्दी) के स्थान पर श्रीमती इन्दु दुबे वरिष्ठ अध्यापक (गणित) पढ़ा जावें। आदेश की शेष शर्तें यथावत रहेगी।


आयुक्त द्वारा अनुमोदित।


उप संचालक 28/6/11

लोक शिक्षण, म.प्र.
भोपाल, दिनांक 28/6/11

पृष्ठा. क्रमांक/शि.कर्मी/संवि./ए/48/2011/145
प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर जिला बड़वानी/होंशगाबाद म.प्र.।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बड़वानी/होंशगाबाद, म.प्र.।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, बड़वानी/होंशगाबाद, म.प्र.।
4. संबंधित श्रीमती इन्दु दुबे, वरिष्ठ अध्यापक (गणित) शास. उ.मा.वि. कासेल जिला बड़वानी म. प्र.। की ओर सूचनार्थ।


उप संचालक 28/6/11
लोक शिक्षण, म.प्र.
१७

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्रमांक/शि.कर्मि/संवि./सी/53/2011/146


भोपाल, दिनांक 28/6/11

// संशोधित आदेश //

संचालनालय के आदेश क्रमांक/शि.क./सी/संवि./53/2011/326-327 दिनांक 10.06.2011 के सरल क्रमांक 06 पर अंकित श्रीमती लीलावंती अतुलकर, अध्यापक (विज्ञान) शास. नवीन मा. शा. कचनार जिला हरदा से शास. कन्या मा.शा. आमला जिला बैतूल के लिए संविलियन की अनुमति प्रदान की गई थी।

अतः आवेदिका से प्राप्त आवेदन पत्र, द्वारा अवगत कराया गया है कि नगरपालिका परिषद आमला जिला बैतूल द्वारा दी गई अनापत्ति प्रमाण पत्र टंकण त्रुटिवश नगरपालिका परिषद आमला जिला बैतूल द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र का जावक क्रमांक 526 के स्थान पर 256 अंकित हो गया है। उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए नगरपालिका परिषद आमला की अनापत्ति प्रमाण पत्र का जावक क्रमांक 256 के स्थान पर 526 पढ़ा जावे। आदेश की शेष शर्तें यथावत रहेगी।

आशुक्त द्वारा अनुमोदित।


28/6/11
उप संचालक

लोक शिक्षण, म.प्र.
भोपाल, दिनांक 28/6/11

पृष्ठा. क्रमांक/शि.कर्मि/संवि./सी/53/2011/142
प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर जिला हरदा/बैतूल म.प्र.।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत हरदा/बैतूल, म.प्र.।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, हरदा/बैतूल, म.प्र.।
4. संबंधित श्रीमती लीलावंती अतुलकर, अध्यापक (विज्ञान) शास. नवीन मा. शा. कचनार जिला हरदा, म.प्र.। की ओर सूचनार्थ।


28/6/11
उप संचालक

लोक शिक्षण, म.प्र.



लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्रमांक/शि.कर्मी/संवि./ए/48/2011/138

भोपाल, दिनांक 28/6/11

// संशोधित आदेश //


संचालनालय के आदेश क्रमांक/शि.क./ए/संवि./48/2011/328-329 दिनांक 10.06.2011 के सरल क्रमांक 119 पर अंकित श्रीमती अंशु यादव, अध्यापक, शास. मा.शा. अमहा जिला पन्ना से शास. मा.शा. अमहा जिला पन्ना के लिए संविलियन की अनुमति प्रदान की गई थी। अतः आवेदिका से प्राप्त आवेदन पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि जिला पंचायत जबलपुर जिला जबलपुर का जा.क्र. 4620 दिनांक 14.12.2010 शास. उ.मा.वि. नुनसर, जिला जबलपुर के स्थान पर टंकण त्रुटिवंश जिला पंचायत पन्ना, जिला पन्ना जा.क्र. 1856 दिनांक 24.07.10 शास. नवीन.मा.शा. अमहा अंकित हो गया है।


अतः उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए कालम नं.-5 में जिला पंचायत पन्ना जा.क्र. 1856 दिनांक 24.07.10 एवं कॉलम नं.-6 जिला पंचायत जबलपुर जा.क्र. 4620 दिनांक 14.12.10, शास. उ.मा.वि. नुनसर जिला जबलपुर पढ़ा जावें। आदेश की शेष शर्तें यथावत रहेगी।

आयुक्त द्वारा अनुमोदित।

पृष्ठा. क्रमांक/शि.कर्मी/संवि./ए/48/2011/138
प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर जिला पन्ना/जबलपुर, म.प्र.।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत पन्ना/जबलपुर, म.प्र.।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, पन्ना/जबलपुर, म.प्र.।
4. संबंधित श्रीमती श्रीमती अंशु यादव, अध्यापक, शास. मा.शा. अमहा जिला पन्ना म.प्र.। की ओर सूचनार्थ।


उप संचालक
म लोक शिक्षण, म.प्र.
भोपाल, दिनांक 28/6/11


उप संचालक
म लोक शिक्षण, म.प्र.

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्रमांक/शि.कर्मी/संवि./ए/22/2011/136

भोपाल, दिनांक 28/6/11

// संशोधित आदेश //

संचालनालय के आदेश क्रमांक/शि.क./ए/संवि./22/2011/210-211 दिनांक 03.05.2011 के सरल क्रमांक 45 पर अंकित श्रीमती आभा सोनी, सहायक अध्यापक, शास. प्रा.शा. मुआरसानी जिला छिंदवाड़ा से शास. प्रा.शा. नयाखेड़ा जिला नरसिंहपुर के लिए संविलियन की अनुमति प्रदान की गई थी।

अतः आवेदिका से प्राप्त आवेदन पत्र, द्वारा अवगत कराया गया है कि टकण त्रुटिवश जनपद पंचायत हरई, जिला छिंदवाड़ा के स्थान पर जनपद पंचायत चौरई, जिला छिंदवाड़ा अंकित किया गया है। उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए जनपद पंचायत चौरई, जिला छिंदवाड़ा के स्थान पर जनपद पंचायत हरई, जिला छिंदवाड़ा पढ़ा जावे। आदेश की शेष शर्तें यथावत रहेगी।


आयुक्त द्वारा अनुमोदित।


उप संचालक

लोक शिक्षण, म.प्र.
भोपाल, दिनांक 28/6/11

पृष्ठा. क्रमांक/शि.कर्मी/संवि./ए/22/2011/137
प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर जिला छिंदवाड़ा/नरसिंहपुर, म.प्र.।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत छिंदवाड़ा/नरसिंहपुर, म.प्र.।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, छिंदवाड़ा/नरसिंहपुर, म.प्र.।
4. संबंधित श्रीमती आभा सोनी, सहायक अध्यापक, शास. प्रा.शा. मुआरसानी जिला छिंदवाड़ा, म.प्र.। की ओर सूचनार्थ।


उप संचालक

लोक शिक्षण, म.प्र.

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्रमांक/शि.कर्मि/संवि./बी/144/2011/134

भोपाल, दिनांक 28/6/11

// संशोधित आदेश //

संचालनालय के आदेश क्रमांक/शि.क./बी/संवि./144/2010/206-207 दिनांक 03.05.2011 के सरल क्रमांक 73 पर अंकित श्रीमती प्रिया चौबे, सहायक अध्यापक, शास. ई.जी.एस. शा. राघुपुरा जिला बड़वानी से शास. प्रा.शा. अयोध्या नगर जिला इंदौर के लिए संविलियन की अनुमति प्रदान की गई थी। अतः आवेदिका से प्राप्त आवेदन पत्र एवं जनपद पंचायत इंदौर की अनापत्ति प्रमाण पत्र जा.क्र. 7432 दिनांक 26.11.2010 द्वारा अवगत कराया गया है कि शास. प्रा. शा. भिचौली मर्दाना के स्थान पर टंकण त्रुटिवंश शास. प्रा.शा. अयोध्या नगर अंकित हो गया है।

अतः उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए शास. प्रा.शा. अयोध्या नगर जिला इंदौर के स्थान पर शास.प्रा.शा. भिचौली मर्दाना जिला इंदौर पढ़ा जावें। आदेश की शेष शर्तें यथावत रहेगी।


आयुक्त द्वारा अनुमोदित।


28/6/11
उप संचालक

लोक शिक्षण, म.प्र.
भोपाल, दिनांक 28/6/11

पृष्ठा क्रमांक/शि.कर्मि/संवि./बी/144/2011/135
प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर जिला बड़वानी/इंदौर, म.प्र.।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत बड़वानी/इंदौर, म.प्र.।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, बड़वानी/इंदौर, म.प्र.।
4. संबंधित श्रीमती प्रिया चौबे, सहायक अध्यापक, शास. ई.जी.एस.शा. राघुपुरा जिला बड़वानी, म.प्र.। की ओर सूचनार्थ।


उप संचालक 28/6/11
लोक शिक्षण, म.प्र.

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्रमांक/शि.कर्म/संवि./ए/23/2011/132


भोपाल, दिनांक 28/6/11

// संशोधित आदेश //

संचालनालय के आदेश क्रमांक/शि.क./ए/संवि./23/2011/212-213 दिनांक 03.05.2011 के सरल क्रमांक 34 पर अंकित श्रीमती सुशीला पाण्डेय, अध्यापक (विज्ञान) शास. मा. शा. देवगांव जिला सतना से शास. हाईस्कूल सगरा जिला रीवा के लिए संविलियन की अनुमति प्रदान की गई थी।

अतः आवेदिका से प्राप्त आवेदन पत्र, द्वारा अवगत कराया गया है कि टकण त्रुटिवश जिला पंचायत सतना, जिला सतना के स्थान पर जिला छिंदवाड़ा अंकित किया गया है। उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए जिला पंचायत सतना, जिला छिंदवाड़ा के स्थान पर जिला पंचायत सतना, जिला सतना पढ़ा जावें। आदेश की शेष शर्तें यथावत रहेगी।


आयुक्त द्वारा अनुमोदित।


उप संचालक

लोक शिक्षण, म.प्र.
भोपाल, दिनांक 28/6/11

पृष्ठा. क्रमांक/शि.कर्म/संवि./ए/23/2011/133
प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर जिला सतना/रीवा म.प्र.।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सतना/रीवा, म.प्र.।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, सतना/रीवा, म.प्र.।
4. संबंधित श्रीमती सुशीला पाण्डेय, अध्यापक, (विज्ञान) शा.मा.शा. देवगांव जिला सतना, म.प्र.। की ओर सूचनार्थ।


उप संचालक
लोक शिक्षण, म.प्र.

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्रमांक/शि.कर्मि/संवि./ए/ 48/2011/128


भोपाल, दिनांक 28/6/11

// संशोधित आदेश //

संचालनालय के आदेश क्रमांक/शि.क./ए/संवि./48/2011/328-329 दिनांक 10.06.2011 के सरल क्रमांक 206 पर अंकित श्रीमती ममता सिंह, सहायक अध्यापक, शास. ई.जी. एस.शा. दादर टोला जिला उमरिया से शास. प्रा. शा. मरहा जिला रीवा के लिए संविलियन की अनुमति प्रदान की गई थी।

अतः आवेदिका से प्राप्त आवेदन पत्र, एवं जनपद पंचायत रीवा द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र क्रमांक 2239 दिनांक 05.05.2011 के आधार पर टकण त्रुटि होने के कारण उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए शास. उ.मा.वि. मरहा के स्थान पर शास. प्रा.शा. मरहा में संविलियन की अनुमति प्रदान की जाती है एवं शास. उ.मा.वि. मरहा का डाईस कोड 23140112101 के स्थान पर शास. प्रा. शा. मरहा का डाईस कोड 23140115001 पढ़ा जावे। आदेश की शेष शर्तें यथावत रहेगी।


आयुक्त द्वारा अनुमोदित।


28/6/11
उप संचालक

लोक शिक्षण, म.प्र.
भोपाल, दिनांक 28/6/11

पृष्ठा. क्रमांक/शि.कर्मि/संवि./ए/ 48/2011/129
प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर जिला उमरिया/रीवा म.प्र.।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत उमरिया/रीवा, म.प्र.।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, उमरिया/रीवा, म.प्र.।
4. संबंधित श्रीमती ममता सिंह, सहायक अध्यापक, शा.ई.जी.एस. शा. दादर टोला जिला उमरिया, म.प्र.। की ओर सूचनार्थ।


28/6/11
उप संचालक
लोक शिक्षण, म.प्र.

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्रमांक/शि.कर्मी/संवि./ए/23/2011/130


भोपाल, दिनांक 28/6/11

//संशोधित आदेश//

संचालनालय के आदेश क्रमांक/शि.क./ए/संवि./23/2011/212-213 दिनांक 03.05.2011 के सरल क्रमांक 26 पर अंकित श्रीमती सुषमा दुबे, अध्यापक (कला) शास हाईस्कूल रमखिरिया जिला जबलपुर से शास. हाईस्कूल पुरवार कला जिला कटनी के लिए संविलियन की अनुमति प्रदान की गई थी।

अतः आवेदिका से प्राप्त आवेदन पत्र, एवं नगरपालिक निगम कटनी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र क्रमांक 797-ए दिनांक 02.06.2011 के आधार पर उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए शास. हाईस्कूल पुरवार कला जिला कटनी के स्थान पर शास. पुरवार कन्या हाईस्कूल में संविलियन की अनुमति प्रदान की जाती है। आदेश की शेष शर्तें यथावत रहेगी।

आयुक्त द्वारा अनुमोदित।



उप संचालक

लोक शिक्षण, म.प्र.
भोपाल, दिनांक 28/6/11

पृष्ठा. क्रमांक/शि.कर्मी/संवि./ए/23/2011/131

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर जिला जबलपुर/कटनी म.प्र.।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत जबलपुर/कटनी, म.प्र.।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, जबलपुर/कटनी, म.प्र.।
4. संबंधित श्रीमती सुषमा दुबे, अध्यापक, (कला) शा.हाईस्कूल रमखिरिया जिला जबलपुर, म.प्र.।
की ओर सूचनार्थ।


उप संचालक
लोक शिक्षण, म.प्र.

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्रमांक/शि.क./बी/143/2010/354

भोपाल, दिनांक 24-6-11

// आदेश //

लोक शिक्षण संचालनालय के आदेश क्रमांक/शि.क./बी/143/10/204, दिनांक 03.5.2011 के सरल क्रमांक 01 पर अंकित श्रीमती जागृति द्विवेदी, अध्यापक (गणित) शा. नवीन मा.शा. खैरी, जिला छतरपुर का जिला पंचायत छतरपुर जिला छतरपुर से नगर पालिक निगम सतना, जिला सतना द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर शा. हाईस्कूल कामताटोला जिला सतना के लिए संविलियन की अनुमति प्रदान की गई थी।

आवेदिका द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के आधार पर संचालनालय द्वारा जारी उक्त आदेश द्वारा दी गई संविलियन की अनुमति को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

"आयुक्त द्वारा आदेशित"

संचालक

लोक शिक्षण मध्य प्रदेश
भोपाल, दिनांक 24-6-11

पृष्ठा. क्रमांक/शि.क./बी/143/2010/355

प्रतिलिपि:-

- 1- कलेक्टर, जिला छतरपुर/सतना मध्यप्रदेश।
- 2- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत छतरपुर जिला छतरपुर मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 3- आयुक्त, नगर पालिक निगम सतना, जिला सतना मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 4- जिला शिक्षा अधिकारी छतरपुर/सतना मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 5- संबंधित - श्रीमती जागृति द्विवेदी, अध्यापक (गणित) शा. नवीन मा.शा. खैरी, जिला छतरपुर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

संचालक

लोक शिक्षण मध्य प्रदेश